न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 149/2011

सायल :-

1. मोती पुत्र धोकल
जाति-अचारज उम्र 70 वर्ष
निवासी-कुडकी तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

बनाम अप्रार्थीगण :-

1. स्व. सोहनलाल पुत्र धोकल
के कायम मुकाम :-
1/1 आयचुकी उर्फ उचूडी बेवा
सोहनलाल
1/2 पप्पूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र
सोहनलाल
1/3 स्वरुप पुत्र सोहनलाल
1/4 बीरबल पुत्र सोहनलाल
जातियान-अचारज निवासी-कुडकी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
1/5 हरजू पत्नी नेमाराम पुत्री
सोहनलाल जाति-अचारज
आलनियावास, तहसील-डेगाना,
जिला-नागौर (राज0)
1/6 संतू उर्फ संतोष पत्नी मुकेश
पुत्री सोहन जाति अचारज
निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण
2. किशना पुत्र धोकल जाति-अचारज
निवासी-कुडकी, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)
3. तहसीलदार (भूमि धारक) जैतारण
4. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.05.09.2011

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी एवं श्री महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्तागण, गै0सा0।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 08/07/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद उक्त अनवान प्रकरण का राजस्व मूल वाद माननीय न्यायालय में ठोस व मजबूत तथ्यों के आधार पर वादी/प्रार्थी ने पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त, खातेदारी की भूमि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 360 रकबा 15 बीघा 16 बीस्वा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 363 रकबा 17 बीघा 12 बीस्वा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

केस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 383 रकबा 17 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 03 जिसका कुल रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा की आई हुई हैं। इस कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी आज से करीब 40 वर्ष पूर्व खातेदारों ने आपस में बैठकर मौखिक बंटवाडा कर मौके पर भूमि की पैमाईश करवाकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हो गये, तब से लगाकर आज तक पक्षकारान उसी बंटवाडे के अनुसार काबिज काश्त हैं और उस बंटवाडे के अनुसार पूर्व खातेदार मदन पुत्र धोकल ने अपना हिस्सा खसरा नंबर 383 में से 2 बीघा 10 बीस्वा अप्रार्थी भगवती को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया और उसके बाद मदन ने खसरा नंबर 363 में से अपने हिस्से की 14 बिस्वा भूमि अप्रार्थीनी रामेश्वरी जाट को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। शेष खातेदार यथावत पूर्व में हुए बंटवाडे के अनुसार आज दिन तक काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त आराजी का नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें तीनो खसरा नंबरान में जो पक्षकारान काबिज काश्त हैं। उसका पूर्ण विवरण दिया गया है और उक्त नजरी नक्शा प्रदर्श एक वाद-पत्र का भाग है और उसी अनुसार पक्षकारान के बीच मौके पर बंटवाडा करवाया जाये तथा तरमीम करवायें जाने का आदेश दिलाया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। खसरा नंबर 360 व 363 के बीच पक्षकारान ने अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता छोड रखा हैं, जो रास्ता 21 फुट चौडा हैं, जो मौके पर मौजूद है व उक्त रास्ता पुनः प्रार्थी के हिस्से में आई दक्षिणी माठ खसरा नंबर 363 की भूमि के सहारे-सहारे जाकर कुडकी से आलनियावास जाने वाले आम रास्ते से मिल जाता हैं। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 से 10 का 1/16 हिस्सा व 11 से 13 का 2/16 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 14 का 1/16 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 1 से 14 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीनी संख्या 15 का 25/32 हिस्सा व अप्रार्थीनी संख्या 16 का 7/32वां हिस्सा इस प्रकार दोनो का 1/16 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 17 स्व. सोहन के कायम मुकामान 17/1 से 17/6 का 1/16 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 18 किशना का 1/16 हिस्सा तथा प्रार्थी मौती का 1/16 हिस्सा इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 19 से 22 का 1/4 हक हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 23 से 25 का 1/4 हिस्सा हक हकूक का आता हैं। वादग्रस्त आराजी में स्वर्गीय धोकल का 1/4 हक हिस्सा था, धोकल (फौत) की वंशावली अनुसार वारिसान मोती, सोहन, मदन व किसना हुए। सोहन के कायम मुकाम पत्नि आयचुकी उर्फ उचूड़ी, पुत्रान पप्पूराम उर्फ भंवरलाल, सरूप व बीरबल एवं पुत्रियाँ हरजू व संतू उर्फ संतोष हुई। मदन के वारिसान भगवती व रामेश्वरी हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी में माफिक बंटवाडा प्रार्थी मौती के हिस्से में खसरा नंबर 363 में से 3 बीघा 4 बीस्वा भूमि हिस्से में आई, जिस भूमि के पडौस पूर्व में - पेमाराम देवासी व आम रास्ता कुडकी से आलनियावास जाने का पश्चिम में - खसरा नंबर 360 मं अप्रार्थी संख्या 11 से 13 का हिस्सा व रास्ता उतर में - अप्रार्थीनी रामेश्वरी द्वारा खरीद किया गदन का तथा कुआ खसरा नंबर 361 दक्षिण मे - सायरी देवासी का हिस्सा व दक्षिणी माठ के पास रास्ता हैं। उक्त पडौस बीच की कृषि भूमि जिसे नजरी नक्शा में प्रदर्श एक में मार्क ए,बी,सी,डी से दर्शाया हुआ हैं। इसी प्रकार सोहन स्वर्गीय के कायम मुकामात अप्रार्थी संख्या 17/1 से 17/6 का हक हिस्सा खसरा नंबर 383 में वाद बताया हुआ हैं तथा मदन ने जो अपना 1/16 हक हिस्सा मे से अप्रार्थीन संख्या 15 भगवती को खसरा नंबर 383 में से 2 बीघा 10 बीस्वा भूमि जो 25/32 वां हिस्सा होती है का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बेचान किया है, वो भूमि वाद हाजा के साथ पेश नक्शा प्रदर्श एक में मार्क एच,आई,जे,के से बतायी हुई है, जिस पर भगवती का कब्जा काश्त है शेष 14 बिस्वा भूमि मदन ने खसरा नंबर 363 में से अप्रार्थीनी रागेश्वरी को बेचान की है वह प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्श एक में मार्क ए,बी,एम,एन दर्शायी गई है तथा अप्रार्थी संख्या 18 किसना का वादग्रस्त आराजी में 1/16 हक हिस्सा खसरा नंबर 383 में वाद हाजा के साथ पेश प्रदर्श एक मार्क जे,के,एल,जी, के बीच बताई गई है, उसी प्रकार उक्त मार्क में बताई गई भूमि पर पक्षकारान पिछले 40 वर्ष से काबिज काश्त होने से बाई लॉ ऑफ एडवर्स पजेसन से अपने हकूकों की बंटवाडा करवाने की घोषणा करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 17 सोहन के कायम मुकाम व अप्रार्थी संख्या 18 किसना ने अभी प्रार्थी को दिनांक 25/08/2011 को धमकी दी कि हमे पूर्व में हुआ बंटवाडा मंजूर नहीं है और अभी खसरा नंबर 363 में सामलाती खाता होने से हमारा नाम हैं। इसलिए खसरा नंबर 363 में से हम हमारे हक हिस्से की भूमि का बेचान करेगें। अगर अप्रार्थीगण ऐसा करते हैं, तो प्रार्थी के साथ भारी अन्याय हो जाएगा क्योकि प्रार्थी ने पिछले 40 वर्षो से उसके हक हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा नंबर 363 की भूमि 3 बीघा 4 बीस्वा भूमि को लाखों रुपये लगाकर उपजाउ बनाया हैं। जबकि प्रार्थी ने खसरा नंबर 363 में से अपना हक हिस्सा अप्रार्थी किसना व स्व. सोहन को मौके पर बंटवाडा कर आज से 40 वर्ष पूर्व ही सुपुर्द कर दिया था और उक्त बंटवाडा सभी पक्षकारान को मंजूर था। इसलिए खसरा नंबर 360 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 17,18 व बेचानकर्ता मदन का कोई हक हिस्सा नहीं रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 17, 18 किसी प्रकार का बेचान, बक्शीश वसीयत, वगैरह का दस्तावेज वाद-पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्श एक खसरा नंबर 363 की मार्क ए,बी,सी,डी भूमि बाबत तहरीर व तकमील कर देते है तो ऐसे दस्तावेज को प्रार्थी के हक हकूकों तक निष्प्रभावी कर दिया जाये और 40 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडे को मान्यता दी जाकर प्रदर्श एक में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 15, 16, 17 तथा 18 के हिस्से में जो भूमि वादग्रस्त आराजी में से आई हैं। उसका उनको खातेदार घोषित किया जाकर मौके पर बंटवाडा करवा कर पक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से रोका जावें व अप्रार्थी संख्या 17 स्व. सोहन के कायम मुकाम व अप्रार्थी संख्या 18 किसना को पाबंद किया जावें की खसरा नंबर 363 की आराजी में से उनके हक हिस्से का बेचान नहीं करें क्योकि उनका हक हिस्सा माफिक बंटवाडा प्रार्थी के हिस्से मे आ चूका है तथा प्रार्थी उक्त हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है और खसरा नंबर 383 में की जाये व प्रार्थी के नाम की घोषणा खसरा नंबर 363 में की जावें। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि में अपने हिस्से पर गत 40 वर्ष से काबिज काश्त है तथा गत 40 वर्ष पूर्व ही सभी पक्षकारान के बीच मौखिक बंटवाडा हो चुका था। उसी माफिक सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है कि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, अन्यथा प्रार्थी को रुपयों में न आंकी जा सकने वाली अपूरणीय क्षति होगी।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुइकी में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05/09/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायल की आराजी भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि का विक्रय, रहन, अन्य हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–कुडकी, तहसील–जैतारण में खसरा नंबर 360 रकबा 15 बीघा 16 बीस्वा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 363 रकबा 17 बीघा 12 बीस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 383 रकबा 17 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 03 जिसका कुल रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा की भूमि के गै0सा0 को वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं विक्रय, रहन, अन्य हस्तान्तरण करने से न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 05/09/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner